क्रमांक 3322851 / 16 / 1874 / 3041

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल – 462 003 (म.प्र.)
दूरभाष : 0755–2552878, फैक्स – 0755–2552406

Regd. A/d

भोपाल, दिनांक 28 / 11 / 2016

प्रति,

सुश्री मोनिका मिश्रा,
आत्मज श्री चन्द्रिका प्रसाद मिश्रा,
24, विष्णुपुरी मैन, भंवरकुआ,
इन्दौर – 492001 (म.प्र.)

विषय :– जल संसाधन विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर नियुक्ति बावत् ।

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा परिणाम प्रेषित किया गया है जिसमें उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर नियुक्ति हेतु आपका चयन किया गया है । आप निम्नलिखित दस्तावेजों सहित पूर्ण तैयारी के साथ दिनांक 15 / 12 / 2016 को प्रातः 10.30 बजे कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल में अनिवार्य रूप से उपस्थित होवें :–

1. शैक्षणिक योग्यता / निवास एवं जाति संबंधी सभी मूल दस्तावेज जॉच हेतु प्रस्तुत करेंगे ।
2. आप उक्त नियत तिथि को संलग्न प्रपत्र में अनिवार्य रूप से शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे ।
3. जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सीय मूल प्रमाण पत्र ।

उक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता / निवास एवं जाति संबंधी दस्तावेजों को सही पाये जाने पर आपको समक्ष में नियुक्ति आदेश प्रदान किया जाएगा और आपको उसी दिन उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा । अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सेवा में उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रशिक्षण में भाग लेने की तैयारी के साथ उपस्थित होवें ।

चरित्र सत्यापन का प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसको पूर्ण कर संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा । उक्त पत्र सहपत्रों सहित म.प्र. जल संसाधन विभाग की वेबसाइट www.mpwrd.gov.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

27.11.16

(एम.जी. चौबे)
प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल

पृ.क्र. 3322851 / 16 / 1875 / 3042 भोपाल दिनांक 28 नवम्बर 2016

प्रतिलिपि : वेब मेनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाऐं, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर प्रविष्ट करने हेतु

संलग्न : उपरोक्तानुसार

27.11.16

(एम.जी. चौबे)
प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल

(प्रमाण–पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी भी एक के हस्ताक्षर होने चाहिए) :–

(एक) केन्द्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी

(दो) संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य ।

(तीन) सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट / अधिकारी ।

(चार) तहसीलदार या नायब तहसीलदार जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत हो ।

(पॉच) शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा प्रमुख ।

(छ:) खण्ड विकास अधिकारी ।

(सात) पोस्ट मास्टर ।

(आठ) पंचायत निरीक्षक ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....
पिता/पति श्री .... को पिछले ....वर्ष ....
माह से जानता हूँ तथा इद्वारा दिये गये ब्योरे मुझे पता है और जहाँ तक मेरा विश्वास है सही है।

स्थान :
तारीख :–

हस्ताक्षर

पद का नाम

तथा पता

कार्यालय द्वारा भरा जावें

1. नियुक्ति अधिकारी का नाम, पद नाम और पूरा पता
2. पद जिसके लिये उम्मीदवार के संबंध में विचार किया जा रहा है।

शपथ पत्र रूपये 100 के स्टाम्प पेपर पर किया जाना है।

//शपथ पत्र//

मैं......................................आत्मज......................................आयु...................
निवासी...जाति..........................निम्नानुसार शपथपूर्वक यह कथन करता हूँ कि :–

1. मेरें विरूद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण किसी भी न्यायालय में अथवा तत्समान संस्था में दर्ज नहीं है। यदि है तो विवरण संलग्न है।
2. किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण में मुझे किसी भी प्रकरण में दण्डित नहीं किया गया है। यदि किया गया है,तो दण्डादेश संलग्न है।
3. मेरे विरूद्ध किसी भी पुलिस थाने में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है।
4. मेरे द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी पूर्णतः तथ्यों पर आधारित है तथा सत्य है।
5. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा पूर्ण संज्ञान में दी गयी है। मैं इस बाबत् भी सहमति व्यक्त करता हूँ कि यदि चरित्र सत्यापन में मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य सिद्ध होती है,तो मेरी नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

शपथ कर्ता का नाम................................

हस्ताक्षर..

दिनांक...

साक्षी –

स.क्र.	नाम	पता	हस्ताक्षर
(1)			
(2)			

परिशिष्ट-एक

[देखिए पैरा ३ (क)]

अनुप्रमाणन फार्म

चेतावनी

अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अनर्हता मानी जाएगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा.

२. यदि इस फार्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंद या गिरफ्तार किया जाता है, अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बंदी बनाया जाता है अथवा उस पर जुर्माना किया जाता है या उसे दोषसिद्ध पाया जाता है, अथवा उसे निर्वासित किया जाता है या दोषमुक्त आदि किया जाता है तो ब्यौरे, यथास्थिति, राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को, जिसे अनुप्रमाणन फार्म पहले भेजा गया हो, तत्काल सूचित किए जाने चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है. अतः यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि वह उन मामलों के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करें, जिनमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था, आदि, भले ही मामले अंतिम रूप से प्रतिवेदित कर दिए गए हों (जाएं), वापस ले लिए गए हों, या उनमें अन्ततः दोषमुक्ति हो गई हो या समझौता कर लिया गया हो.

३. यदि यह तथ्य कि अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी दी गई है या यह कि कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति को सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

---

१. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) तथा उपनाम, यदि कोई हो (यदि आपने किसी भी अवस्था में अपने नाम या कुलनाम में कुछ जोड़ा हो या हटाया हो तो कृपया उसका उल्लेख कीजिए) .... कुलनाम (सरनेम) .... नाम ....

---

२. वर्तमान पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला, या घर क्रमांक गली (मार्ग) सड़क तथा नगर और राज्य, जिसमें वह स्थित हो)

---

३. (क) घर का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना, तथा जिला या घर क्रमांक, गली (मार्ग) सड़क तथा नगर और जिला मुख्यालय का नाम और राज्य, जिसमें वह स्थित हो) (क)

(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हों तो उस देश में आपका पता तथा भारतीय संघ में प्रवास की तारीख.	(ख)

४. निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे, जहां आप पिछले पांच वर्षों के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों. यदि विदेश (जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है) में रहे हों तो उन सभी स्थानों के ब्यौरे दिए जाने चाहिए जहां आप २१ वर्ष की आयु के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों.

से	तक	निवास का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला, अथवा घर क्रमांक गली (मार्ग) सड़क तथा नगर)	पूर्ववर्ती खाने में उल्लिखित स्थान के जिला-मुख्यालय का तथा वह राज्य, जिसमें वह स्थित हो.
(१)	(२)	(३)	(४)

५. पिता का

(क) पूरा नाम तथा उपनाम, यदि कोई हो	.... (क)
(ख) वर्तमान डाक-पता (यदि स्वर्गवास हो गया हो तो पिछला पता दीजिए)	.... (ख)
(ग) घर का स्थायी पता	.... (ग)
(घ) व्यवसाय	.... (घ)
(ङ) यदि किसी सेवा में हों तो उनका पदनाम तथा कार्यालय का पता दीजिये.	.... (ङ)

६. (एक) नीचे उल्लिखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता ....
(क) पिता .... (क)
(ख) माता .... (ख)
(ग) पति/पत्नि .... (ग)
(घ) उम्मीदवार .... (घ)
(दो) पति/पत्नि का जन्मस्थान .... (दो)

७. (क) जन्म तारीख .... (क)
(ख) वर्तमान आयु .... (ख)
(ग) मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु . . . (ग)

८. (क) जन्मस्थान, जिला तथा राज्य जिसमें वह स्थित हो. .... (क)
(ख) वह जिला तथा राज्य जहां के आप निवासी हैं. .... (ख)

९. (क) आपका धर्म .... (क)
(ख) क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य हैं? हां या नहीं में उत्तर दीजिए और यदि आपका उत्तर हां में हो तो उस जाति विशेष का नाम लिखिए. .... (ख)

१०. शैक्षणिक अर्हताएं :—
वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए जहां आपने शालाओं और महाविद्यालयों में १५ वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो.

शाला/महाविद्यालय का नाम तथा पूरा पता (१)	प्रवेश की तारीख (२)	शाला/महाविद्यालय छोड़ने की तारीख (३)	उत्तीर्ण परीक्षा (४)

११. यदि आप कभी नियोजित रहे हों तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए—

धारित पद का नाम या कार्य का स्वरूप (१)	अवधि से (२)	अवधि तक (२)	कार्यालय, फर्म अथवा संस्था का पूरा पता (३)	पिछली सेवा छोड़ने के कारण (४)

१२. (क) क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है, क्या आप कभी निरुद्ध किए गए हैं या आपसे मुचलका लिया गया है। आप पर जुर्माना किया गया है क्या आप किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा, उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं/किए जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है। उसके लिए अनर्ह ठहराया गया है, या क्या आपको किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है/निष्कासित किया गया है.

(ख) क्या इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लम्बित है? यदि (क) अथवा (ख) में पूछे गये प्रश्नों के संबंध में आपके उत्तर हां में हों तो आपको इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय मामले, गिरफ्तारी, निरोध, जुर्माने, दोषसिद्ध तथा दण्डादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए तथा इस फार्म को भरते समय न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए. इस जानकारी के अतिरिक्त, जहां लागू हो वहां निम्नलिखित ब्यौरे भी दिए जाएंगे :—

(एक) अपराध/आरोप.
(दो) पुलिस थाने में पंजीबद्ध.
(तीन) यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम.
(चार) मामले का क्रमांक, न्यायालय द्वारा उसका निपटारा किस तारीख को किया गया.
(पांच) दिया गया दंड.
(छह) क्या दोषमुक्त कर दिया गया?
(सात) दोषमुक्ति संदेह के लाभ पर आधारित थी या मामला वापस ले लिया गया था.

टिप्पणी.—अभ्यर्थी इस अनुप्रमाणन फार्म के ऊपर दी गई चेतावनी नोट करें.

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख .... स्थान ....

१३.	आपके मोहल्ले के ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों या दो निदेशियों (रेफरियों) के नाम, जो आपको जानते हों.	(१) (२)

मैं प्रमाणित करता हूं कि पूर्ववर्ती जानकारी, जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है, सही और पूर्ण है. मैं ऐसी किन्हीं भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूं जिनके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हो. मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि उपर्युक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में गलत या अपूर्ण पाई जाए तो नियुक्ति प्राधिकारी को, बिना सूचना दिए या बिना कारण बताए मेरी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा.

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख .... स्थान ....